

प्रेस नोट

दिनांक 28.09.2020

सराहनीय कार्य थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी
शातिर गैंगेस्टर अभियुक्त विक्रम सिंह उर्फ विक्की के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत की
गई कार्यवाही, 16 लाख रुपये की संपत्ति की गयी जब्त ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री दयाराम के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना के कुशल नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक मुसाफिरखाना अंगद सिंह मय हमराह द्वारा शातिर अपराधी विक्रम सिंह उर्फ विक्की पुत्र अमरजीत नि0 कैमा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी की सम्पत्ति 01 अदद सफारी गाड़ी यूपी 32 एचपी 6840 (कीमत रुपये 15 लाख 50 हजार) व 01 अदद मोटरसाइकिल यूपी 36 डी 2118 (कीमत 50 हजार) को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किया गया । अभियुक्त विक्रम सिंह उर्फ विक्की द्वारा उक्त सम्पत्ति पूर्व में अपराध कारित कर धन एकत्रित करते हुये बनाई है । विक्रम सिंह उर्फ विक्की शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा संगठित रूप से आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए जघन्य अपराध कारित किया गया है । जिसके विरुद्ध पूर्व में कई मुकदमें पंजीकृत हैं ।

अभियुक्त का विवरण:-

- विक्रम सिंह उर्फ विक्की पुत्र अमरजीत नि0 कैमा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।

जब्त की गई सम्पत्ति:-

1. 01 अदद सफारी गाड़ी यूपी 32 एचपी 6840 । (कीमत रुपये 15 लाख 50 हजार)
2. 01 अदद मोटरसाइकिल यूपी 36 डी 2118 । (कीमत रुपये 50 हजार)

जब्त करने वाली टीम:-

1. प्र0नि0 अंगद सिंह थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
2. हे0का0 कन्हैया यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
3. का0 फूलचन्द्र थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
4. का0 विनोद यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।

आपराधिक इतिहास:- विक्रम सिंह उर्फ विक्की एच0एस0 नं0 146ए

1. मु0अ0स0 815/14 धारा 147,148,302,307 भादवि थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0स0 22/14 धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0स0 917/15 धारा 323,452,504,506 भादवि थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
4. मु0अ0स0 918/15 धारा 323,325,504,506 भादवि थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
5. मु0अ0स0 337/19 धारा 147,148,149,302,120बी भादवि थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
6. मु0अ0स0 214/19 धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
7. मु0अ0स0 183/19 धारा 307,504,120बी थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी ।